

श्रीमान
उपखण्ड अधिकारी



पदेन सहयक कलक्टर, सृजानगढ़
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सृजानगढ़ को भिजाई जाये।
पत्रावली निर्णय सं प्रमाण सं हीकर, हस्त जाबा दाखिल दफतर ही।
निर्णय आज दिनांक 27/6/19 को सं ही द्वारा लिखाया जाकर बसने
हजलास में सुनाया गया।

क्र. ग्राम	खाला	संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठ (अर्थात् प्रतिष्ठित)	आदेश (शुद्ध प्रतिष्ठित जा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बाड़ा	63/58	सीताराम पुत्र ज्ञानदास हिस्सा - 1/9 जालि साद निवासी बाड़ा खालदार	सीताराम पुत्र ज्ञानदास हिस्सा - 1/9 जालि साद निवासी बाड़ा खालदार

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उप तहसीलदार राजस्व सृजानगढ़ से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाये।
प्रकरण में साक्षिण तथ्य इस प्रकार से है कि सैमीगेशन को दर्हिटेनल रखते हुए प्रार्थी सीताराम ने खाला हुकस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
श्री-अभिनेख निरीक्षक जीली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सृजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान में-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाड़ा तहसील सृजानगढ़ व जिला बूँक की जमाबन्दी सन्वत् 2074-2077 में पुराना खाला संख्या 58 नया खाला संख्या 63 में दर्ज प्रतिष्ठ को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल द्रामद के आदेश दिये जाते हैं:-

27/6/19

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम की कायवाही मय डेनिशियलस जल

हुकम
तारीख

फट अहकाम (नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहयक कलक्टर सृजानगढ़
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र- अन्तगत धारा 136 एलआर एफ्ट
मु.नं. 39/न 2019